रजिस्टर्ड सं० डी —(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1987 (चैत्र 7, 1909)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1987 (CHAITRA 7, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . .	325
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	371
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	419
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	2321
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गयी पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	209
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1333
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	45
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	325
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	371
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	419
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2321
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	209
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1333
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	45
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc, both in English and Hindi .	

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1987

सं० 28-प्रेज/87—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेन्ट जनरल जितेन्द्र कुमार पुरी (आई० सी०-4472), अ० वि० से० मे० आर्टिलरी ।
2. लेफ्टिनेन्ट जनरल आनन्द सरूप (आई० सी०-4501), म० वी० चक्र, इन्फैन्ट्री ।
3. लेफ्टिनेन्ट जनरल राजेन्द्र पाल सिंह (आई० सी०-4801), सिगनल्स ।
4. लेफ्टिनेन्ट जनरल त्रिपत सिंह (आई० सी०-5892), अ० वि० से० मे० विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियर ।
5. लेफ्टिनेन्ट जनरल तुग्गाहल्ली श्रीनिवास आयंगर नरहरि (आई० सी० 7505), इंजीनियर्स ।
6. लेफ्टिनेन्ट जनरल इन्दर मोहन आहूजा (एम० आर०-616), सेना चिकित्सा कोर ।
7. लेफ्टिनेन्ट जनरल राम लभाया कपूर (आई० सी०-7264), विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियर ।
8. लेफ्टिनेन्ट जनरल बिदंदा चिगप्पा, नंदा (आई० सी०-5310), अ० वि० से० मे०, इन्फैन्ट्री ।
9. लेफ्टिनेन्ट जनरल कुलदीप सिंह बरार (आई० सी०-6732), अ० वि० से० मे०, वीर चक्र, इन्फैन्ट्री ।
10. मेजर जनरल जगदीश सिंह जामवाल (आई० सी० 6419), इन्फैन्ट्री ।
11. मेजर जनरल जगदीश चन्द्र सचदेवा (आई० सी०-8733), इंजीनियर्स ।
12. ब्रिगेडियर जाल मास्टर (आई० सी०-12071), वि० से० मे०, इन्फैन्ट्री ।
13. वाइस एडमिरल इन्दरजीत सिंह खुराना (00072 एन)
14. वाइस एडमिरल सुरिन्दर मोहन गढ़िओक (00126 के)
15. वाइस एडमिरल सुभाष चन्द्र चोपड़ा, (00131 वाई), अ० वि० से० मे०, नौ० मे० ।
16. वाइस एडमिरल लालचन्द्र गणेश मुधोलकर, अ० वि० से० मे०, (50008 बी), (सेवा निवृत्त) ।
17. एयर मार्शल चन्द्रकान्त शान्ताराम राजे, अ० वि० से० मे०, (4038) उड़ान (पायलट) ।
18. एयर मार्शल सुरेन्द्र कुमार मेहरा, अ० वि० से० मे०, वा० से० मे० (4197), उड़ान (पायलट) ।
19. एयर मार्शल निर्मल चन्द्र सूरी, अ० वि० से० मे०, वा० से० मे० (4236), उड़ान (पायलट) ।
20. एयर मार्शल पीतुमूत्तिल साइमन जॉर्ज, अ० वि० से० मे०, (4240), उड़ान (पायलट) ।
21. एयर मार्शल ज्ञानेन्द्र नाथ कुंजरू, अ० वि० से० मे०, (एम० आर०-00600 एच), सेना चिकित्सा कोर ।
22. एयर मार्शल ब्रजपाल सिंह सिकन्द, अ० वि० से० मे० (3947), उड़ान (पायलट) (सेवा निवृत्त) ।

सं० 29-प्रेज/87—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर जनरल कपिल देव पराशर (आई० सी०-6535), विद्युत तथा यांत्रिकी, इंजीनियर ।
2. मेजर जनरल सुधीर कुमार विस्वास (एम० आर०-632), वि० से० मे०, सेना चिकित्सा कोर ।
3. मेजर जनरल हरीश चन्द्र जोशी (एम० आर०-637), सेना चिकित्सा कोर ।
4. मेजर जनरल अजय सिंह (आई० सी०-7745); कवचित कोर ।
5. मेजर जनरल यादलापल्ली वेंकट राधाकृष्ण (आई० सी० 6948), विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियर ।
6. ब्रिगेडियर (स्थानिक मेजर जनरल) पलत मुकुन्दन मेनन (आई० सी०-6912), वि० से० मे०, विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियर, (सेवा निवृत्त) ।
7. ब्रिगेडियर आत्मा सिंह हंसरा (आई० सी०-7470), वीर चक्र, आर्टिलरी ।
8. ब्रिगेडियर जौहम श्रीनिवास नरसिम्हन (आई० सी०-7925), सिगनल्स ।
9. ब्रिगेडियर सुरिन्दर प्रकाश मनकड़ (आई० सी०-8256), आसूचना कोर ।

10. ब्रिगेडियर जगदीश चन्द्र नकरा (आई० सी०-10460), से० मे०, आर्टिलरी।

11. ब्रिगेडियर सुभाष चन्द्र जौहर (आई० सी०-11618), इन्फैन्ट्री।

12. ब्रिगेडियर अपूर्व कुमार सेन गुप्ता, (आई० सी०-11942), कवचित कोर।

13. ब्रिगेडियर रवि इन्दर सिंह काहलों, (आई० सी०-12048), इन्फैन्ट्री।

14. ब्रिगेडियर कृष्ण मोहन सेठ, (आई० सी०-12070), आर्टिलरी।

15. ब्रिगेडियर सुरिन्दर कुमार जेतली (आई० सी०-12303), से० मे०, कवचित कोर।

16. ब्रिगेडियर विजय ओबराय (आई० सी०-12522), वि० सें० मे०, इन्फैन्ट्री।

17. ब्रिगेडियर गुन्डरेड्डी बाल कृष्ण रेड्डी (आई० सी०-12705), इन्फैन्ट्री।

18. ब्रिगेडियर वासुदेव राउले (ए० आर०-949), वि० से० मे०, सेना चिकित्सा कोर।

19. ब्रिगेडियर लाहोर कुमार बनर्जी (एम० आर०-940), सेना चिकित्सा कोर।

20. ब्रिगेडियर कल्पनाथ सिंह (आई० सी०-11751), वि० सें० मे०, तथा बार, इंजीनियर्स।

21. कर्नल प्रमोद मनोहर लोण्डे (आई० सी०-8455), इंजीनियर्स।

22. कर्नल तेज पाल सिंह चौधरी, (आई० सी०-13884), इंजीनियर्स।

23. कर्नल तड़ित कुमार राय (एम० आर०-1552), सेना चिकित्सा कोर।

24. कर्नल राजिन्दर कुमार बग्गा (आई० सी०-11057), विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियर।

25. लेफ्टिनेन्ट कर्नल बलवन्त सिंह संधू (आई० सी०-8464), पैरा।

26. रियर एडमिरल मदन मोहन चोपड़ा (60042 एच)

27. सर्जन कमोडोर ओमप्रकाश चावला, (75048 एन)।

28. कमोडोर निर्मल कुमार मुखर्जी, वि० सें० मे० (00397 ए)।

29. कमोडोर अवनीश राय टंडन (00421 एफ)।

30. कमोडोर रमेश कुमार माथुर (50069 टी), (सेवा-निवृत्त)।

31. कैप्टन कैलाश कुमार कोहली (00407 जैड)

32. एयर मार्शल परमेश्वर वेंकटाचलम अय्यर, वि० से० मे० (4182), सम्भारिकी।

33. एयर मार्शल राजगोपाल श्री रामुलु नायडू, वा० से० मे० (4090), उड़ान (पायलट)।

34. एयर मार्शल परदुमन कृष्ण पुरी, वि० से० मे० (4397) उड़ान (नेवीगेटर)।

35. एयर वाइस मार्शल, पोथमसेट्टी प्रसन्ना माधवा (4379), वैमानिकी इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)।

36. एयर वाइस मार्शल सुरेश चन्द्र वा० सें० मे०, (4585), उड़ान (पायलट)।

37. एयर वाइस मार्शल अब्राहम मैथ्यू (4547), वैमानिकी इंजीनियरी, (इलैक्ट्रानिकी)।

38. एयर वाइस मार्शल सुरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी (5030), लेखा।

39. एयर वाइस मार्शल सुखदेव मोहन (4789), उड़ान (पायलट)।

40. एयर वाइस मार्शल पुलवेगी श्रीनिवासा राजगोपालन (4698) वैमानिकी इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी), (सेवा निवृत्ति)।

41. एयर कमोडोर प्रकाश सिंह देवगन (4625), चिकित्सा।

42. ग्रुप कैप्टन अवनीश कुमार वर्मा (8633), दन्त-चिकित्सा।

43. ग्रुप कैप्टन राघवन गोपालस्वामी (5826), वि० से० मे०, वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी)।

सं. 30-प्रेज/87—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्ति को उसकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

कर्नल गुरदयाल सिंह हुंडल (आई० सी०-12537), अ० वि० से० मे०, आर्टिलरी।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1987

शुद्धि-पत्र

सं० I.11014/4/86-आई० पी० एस०-II—भारत के राजपत्र भाग-खण्ड-1 पृष्ठ 908 (अंग्रेजी) दिनांक 16 अगस्त, 1986 में प्रकाशित इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जून, 1986 में "श्री ए० घटक, आई० पी० एस० पश्चिम बंगाल—69" शब्दों के स्थान पर कृपया "श्री ए० घटक, आई० पी० एस० पश्चिम बंगाल—59" पढ़ा जाए।

एन० एस० शर्मा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1987

संकल्प

सं० 314/3/86-एफ० (पी०)—फिल्म प्रभाग की वृत्त चित्र खरीद समिति के पुनर्गठन का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । यह समिति उन फिल्मों की उपयुक्तता के बारे में सलाह देती है जिनकी निजी निर्माताओं द्वारा फिल्म प्रभाग को खरीदने या भेंट स्वरूप देने हेतु पेशकेश की जाती है । अब इस मंत्रालय के संकल्प सं० 314/15/84-एफ० (पी०), दिनांक 30 जुलाई, 1984 का अधिक्रमण करते हुए उक्त समिति का तत्काल से निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है :—

सरकारी सदस्य (पांच)

1.	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, दूरदर्शन या उनका मनोनीत व्यक्ति	सदस्य
3.	निदेशक (प्रशासन), फिल्म प्रभाग	सदस्य
4.	महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	सदस्य
5.	आंतरिक वित्त सलाहकार, फिल्म प्रभाग	सदस्य सचिव

गैर-सरकारी सदस्य (छः)

1. श्री एम० वी० कृष्णस्वामी, बंगलौर
2. श्री जी० अरविन्दन, त्रिवेंद्रम
3. श्री निसीथ बनर्जी, कलकत्ता
4. श्री विजय चटर्जी, कलकत्ता
5. श्री भूपेन हजारिका, कलकत्ता
6. डा० जब्बार पटेल, बम्बई
7. श्री गिरीश कर्नाड, बम्बई
8. श्री श्याम बेनेगल, बम्बई
9. श्री प्रकाश झा, बम्बई
10. श्री एन० पी० के० मूर्ति, बम्बई
11. पंडित नरेन्द्र शर्मा, बम्बई
12. डा० (श्रीमती) सरयू दोषी, बम्बई

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि फिल्म प्रभाग के मुख्य निर्माता को यह छूट होगी कि वे समिति की कार्रवाई चलाने की दृष्टि से उपरोक्त बारह गैर-सरकारी सदस्यों में से छः का पैनल बना लें।

3. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा ।

4. समिति निजी निर्माताओं और अन्य एजेंसियों से वृत्त चित्रों की खरीद के लिए या निजी निर्माताओं से वृत्त चित्रों को भेंट स्वरूप देने के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा समय-समय पर प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच करेगी । समिति इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर फिल्मों की गुणवत्ता, सामान्य प्रचार के लिए उनकी उपयुक्तता और इस प्रकार के अन्य सम्बन्धित मानदण्डों के आधार पर विचार करेगी और यह सलाह देगी कि क्या फिल्म प्रभाग को विचाराधीन फिल्में लेनी चाहिए या नहीं । समिति वृत्त चित्रों की खरीद से सम्बन्धित सामान्य स्वरूप के मामलों पर भी विचार कर सकती है, और फिल्म प्रभाग को अपनी सलाह दे सकती है ।

5. समिति की सिफारिशें बहुमत के अनुसार होंगी बशर्ते कि कम से कम एक सरकारी सदस्य भी बहुमत का हो । समिति की सिफारिशों को सामान्यतया फिल्म प्रभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा । यदि मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अन्तिम निर्णय के लिए लिख सकता है । समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार करेगी । समिति को सचिवालय सहायता फिल्म प्रभाग द्वारा उपलब्ध की जाएगी ।

6. (क) समिति के सरकारी सदस्य अपने पद की हैसियत से समिति के सदस्य बने रहेंगे । गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यता दो वर्ष का या सामान्य कार्यकाल के दौरान या बाद में सरकार द्वारा बदले जाने तक रहेगा ।

(ख) किसी भी कारणवश गैर सरकारी सदस्यों की अनुपस्थिति में, प्रस्तावों पर विचार और सिफारिशें समिति के सरकारी सदस्यों द्वारा दी जाएंगी ।

(ग) गैर-सरकारी सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करेंगे किन्तु वे नियमों के अन्तर्गत यात्रा-भत्ते और अन्य भत्तों के पात्र होंगे । गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान एस० आर० 190 और सरकार द्वारा इसके अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा । सरकारी सदस्य अपना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, जो नियमों के अन्तर्गत उनको देय हो, उस स्रोत से लेंगे जिससे वे अपना वेतन लेते हैं।

7. समिति द्वारा दी गई और फिल्म प्रभाग द्वारा स्वीकार की गई सिफारिश के विरुद्ध अपील सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस प्रकार के निर्णय की सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकती है । इस प्रकार के मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. वृत्त चित्रों की खरीद समिति की सिफारिशों पर या सरकार के आदेशों पर फिल्म प्रभाग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सभी वृत्तचित्रों की खरीद मूल्य निश्चित करने के लिए फिल्म प्रभाग की एक मूल्य निर्धारिण समिति होगी । मूल्य निर्धारित समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :—

(1) मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग ।

(2) उप-सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।

(3) आंतरिक वित्त सलाहकार, फिल्म प्रभाग ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० एस० शर्मा, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1987

No. 28-Pers/87.—The President is pleased to approve the award of the 'Param Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

1. Lieutenant General Jitendra Kumar Puri (IC-4472), AVSM, Artillery.
2. Lieutenant General Anand Sarup (IC-4501), MVC, Infantry.
3. Lieutenant General Rajendra Pal Singh (IC-4801), Signals.
4. Lieutenant General Tripat Singh (IC-5892), AVSM, Electrical and Mechanical Engineers.
5. Lieutenant General Nuggaballi Srinivasa Jyengar Narahari (IC-7505), Engineers.
6. Lieutenant General Inder Mohan Ahuja (MR-616), Army Medical Corps.
7. Lieutenant General Ram Labhaya Kapur (IC-7264), Electrical and Mechanical Engineers.
8. Lieutenant General Biddanda Chengappa Nanda (IC-5310), AVSM, Infantry.
9. Lieutenant General Kuldip Singh Brar (IC-6732), AVSM, Vr. C, Infantry.
10. Major General Jagdish Singh Jamwal (IC-6419), Infantry.
11. Major General Jagdish Chander Sachdeva (IC-8733), Engineers.
12. Brigadier Jal Master (IC-12071), VSM, Infantry.
13. Vice Admiral Inder Jit Singh Khurana (00072 N).
14. Vice Admiral Surinder Mohan Gadihoke (00126 K).
15. Vice Admiral Subhash Chandra Chopra, AVSM, NM (00131 Y).
16. Vice Admiral Bhalchandra Ganesh Mudholkar, AVSM (50008 B) (Retired).
17. Air Marshal Chandrakant Shantaram Raje, AVSM (4038) Flying (Pilot).
18. Air Marshal Surendra Kumar Mehra, AVSM VM (4197) Flying (Pilot).
19. Air Marshal Nirmal Chandra Suri, AVSM, VM (4236) Flying (Pilot).
20. Air Marshal Pynummoottil Simon George, AVSM (4240) Flying (Pilot).
21. Air Marshal Gyanendra Nath Kunzru, AVSM (MR-00600 H), Army Medical Corps.
22. Air Marshal Brijpal Singh Sikand, AVSM (3947) Flying (Pilot) (Retired).

No. 29-Pers/87.—The President is pleased to approve the award of the 'Ati Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

1. Major General Kapil Dev Parashar (IC-6535), Electrical and Mechanical Engineers.
2. Major General Sudhir Kumar Biswas (MR-632), VSM, Army Medical Corps.
3. Major General Harish Chandra Joshi (MR-637), Army Medical Corps.
4. Major General Ajai Singh (IC-7745) Armoured Corps.
5. Major General Yadalapalli Venkata Radhakrishna (IC-6948), Electrical and Mechanical Engineers.
6. Brigadier (local Major General) Pullat Mukundan Menon, (IC-6912), VSM, Electrical and Mechanical Engineers (Retired).
7. Brigadier Atma Singh Hansra (IC-7470), VrC, Artillery.
8. Brigadier Jois Srinivasa Narasimhan (IC-7925), Signals.
9. Brigadier Surinder Parkash Makkar (IC-8256), Intelligence Corps.
10. Brigadier Jagdish Chander Nakra (IC-10460), SM, Artillery.
11. Brigadier Subhash Chander Johar (IC-11618), Infantry.
12. Brigadier Apurba Kumar Sengupta (IC-11942), Armoured Corps.
13. Brigadier Ravi Inder Singh Kahlon (IC-12048), Infantry.
14. Brigadier Krishna Mohan Seth (IC-12070), Artillery.
15. Brigadier Surinder Kumar Jetley (IC-12303), SM, Armoured Corps.
16. Brigadier Vijay Oberoi, (IC-12522), VSM, Infantry.
17. Brigadier Gundreddi Bala Krishna Reddi (IC-12705), Infantry.
18. Brigadier Basudeb Rautray (MR-949), VSM, Army Medical Corps.
19. Brigadier Lohor Kumar Banerjee (MR-940), Army Medical Corps.
20. Brigadier Kalp Nath Singh (IC-11751), VSM & Bar, Engineers.
21. Colonel Promod Manohar Lokhande (IC-8455), Engineers.
22. Colonel Tej Pal Singh Chowdhury (IC-13884), Engineers.

23. Colonel Tarit Kumar Roy (MR-1552), Army Medical Corps.

24. Colonel Rajinder Kumar Bagga (IC-11057), Electrical and Mechanical Engineers.

25. Lieutenant Colonel Balwant Singh Sandhu (IC-8464), Para.

26. Rear Admiral Madan Mohan Chopra (60042 H).

27. Surgeon Commodore Om Prakash Chawla (75048 N).

28. Commodore Nirmal Kumar Mukherjee, VSM (00397 A).

29. Commodore Avnish Rai Tandon (00421 F).

30. Commodore Ramesh Kumar Mathur (50069 T), (Retired).

31. Captain Kailash Kumar Kohli (00407 Z).

32. Air Marshal Parameswaraiyer Venkatachalam Iyer, VSM (4182), Logistics.

33. Air Marshal Rajgopal Sriramulu Naidu, VM (4090), Flying (Pilot).

34. Air Marshal Parduman Krishan Puri, VSM (4397), Flying (Navigator).

35. Air Vice Marshal Pothamsetti Prasanna Madhava (4379), Aeronautical Engineering (Electronics).

36. Air Vice Marshal Suresh Chand, VM (4585), Flying (Pilot).

37. Air Vice Marshal Abraham Mathew, (4547), Aeronautical Engineering (Electronics).

38. Air Vice Marshal Surendra Nath Chaturvedi (5030), Accounts.

39. Air Vice Marshal Sukh Dev Mohan ((4789), Flying (Pilot).

40. Air Vice Marshal Pulaveri Srinivasa Rajagopalan (4698), Aeronautical Engineering (Electronics) (Retired).

41. Air Commodore Parkash Singh Devgan (4625), Medical.

42. Group Captain Avnish Kumar Verma (8633), Dental.

43. Group Captain Raghavan Gopalaswami (5826), VSM, Aeronautical Engineering (Mechanical).

No. 30-Pers/87.—The President is pleased to approve the award of 'Bar to Ati Vishisht Seva Medal' to the undermentioned person for distinguished service of an exceptional order :—

Colonel Gurdial Singh Hundal (IC-12537), AVSM, Artillery.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th March 1987

CORRIGENDUM

No. I.11014/4/86-IPS.II.—In this Ministry's Notification of even number dated 27th June, 1986 published in the Gazette of India Part I, Section 1, at page 908 (English) on 16th August, 1986, for the words "Shri A. Ghatak, IPS WB : 69" please read "Shri A. Ghatak, IPS WB : 59".

N. S. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th February 1987

RESOLUTION

No. 314/3/86-F(P).—The question of reconstituting the Documentary Films Purchase Committee of the Films Division has been under consideration of the Government for some time past. The Committee tenders advice on suitability of films offered for purchase or donation by private producers to the Films Division. It has now been decided, in supersession of this Ministry's Resolution No. 314/15/83-F(P) dated the 30th July, 1984 to reconstitute the Committee, with immediate effect, as follows :—

Official Members—(Five)

Chairman

(i) Chief Producer, Films Division

Members

(ii) Director General, Doordarshan or his nominee

(iii) Director (Admn.), Films Division

(iv) General Manager, National Film Development Corporation

Member-Secretary

(v) Internal Financial Adviser, Films Division

Non-Official Members—(Six)

(i) Shri M. V. Krishnaswamy, Bangalore

(ii) Shri G. Aravindan, Trivandrum

(iii) Shri Nishith Banerjee, Calcutta

(iv) Shri Bijoy Chatterjee, Calcutta

(v) Shri Bhupen Hazarika, Calcutta

(vi) Dr. Jabbar Patel, Bombay

(vii) Shri Girish Karnad, Bombay

(viii) Shri Shyam Benegal, Bombay

(ix) Shri Prakash Jha, Bombay

(x) Shri N. V. K. Murthy, Bombay

(xi) Pandit Narendra Sharma, Bombay

(xii) Dr. (Smt.) Saryu Doshi, Bombay

2. It has also been decided that the Chief Producer, Films Division will be free to draw a panel of six non-official members out of twelve as aforesaid with a view to conducting the proceedings of the Committee.

3. The headquarters of the Committee will be at Bombay.

4. The Committee will examine all proposals received from time to time by the Films Division for purchase of documentary films from independent producers and other agencies or offers of donation of documentary films from independent producers. The Committee will consider all such proposals on the basis of quality, suitability for general publicity release and such other relevant criteria and advise whether the films in question should be acquired by the Films Division or not. The Committee may also consider matters of general nature concerning purchase of documentary films and tender its advice to the Films Division.

5. The recommendations of the Committee shall be in accordance with the view of the majority subject to the condition that at least one of the official members is also of the majority view. The recommendations of the Committee will normally be accepted by the Films Division. If the Chief Producer, Films Division disagrees with the recommendations of the Committee he may make a reference to the Ministry of Information & Broadcasting for a final decision. The Committee will meet as and when necessary. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Films Division.

6. (a) The official members of the Committee will continue to be the members of the Committee by virtue of the office held by them. The normal tenure of non-official members will be two years or until replaced by the Government during or after the normal tenure.

(b) In the absence of non-official members for any reason, the proposals will be considered and recommendations made by the official members of the Committee.

(c) The non-official members will function in an honorary capacity but will be eligible to travelling allowance and other allowances admissible under the Rules. The grant of TA and DA to the non-official members will be regulated in accordance with the provision of S.R. 190 and orders issued thereunder by the Government of India from time to time. The official members of the Committee will draw their TA and DA as admissible to them under the rules applicable to them from the source from which their pay is drawn.

7. An appeal against the recommendation made by the Committee and accepted by the Films Division can be made to the Ministry of Information & Broadcasting within 30 days from the date of communication of such a decision. The decision of the Ministry of Information & Broadcasting in such cases shall be final.

8. There shall be a Pricing Committee for the Films Division to determine the purchase price for all decumentaries to be acquired by the Films Division whether on the recommendations of the Documentary Films Purchase Committee or the orders of the Government. The constitution of the Pricing Committee will be as under :

Chairman

(i) Chief Producer, Films Division

Members

(ii) Deputy Secretary (Finance) Ministry of I&B

(iii) Interal Financial Adviser, Films Division

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Shbha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. S. SHARMA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987